संख्या-28/2017/989/35-1-2017-6/8(4)/2017

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनशक्ति नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊःदिनांकः 31 अक्टूबर, 2017**

विषयः राज्य पोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में एन0जी0ओ0 की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नई मॉग की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अपने पत्रांक-256/ज0नि0प्र0/2017, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-3451-092-08-राज्य पोषित कल्याणकारी योजनाओं में एन0जी0ओ0 की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वेबसाइट/पोर्टल का निर्माण-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत कुल प्राविधानित रू0 12.40 लाख (रूपये बारह लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सम्पूर्ण धनराशि को अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखी जाएगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 में निहित प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में प्रश्नगत कार्य के लिए किसी भी स्रोत से धनराशि निर्गत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य वित्त योजना हेतु किसी भी विभाग की कार्ययोजना में प्रस्तावित है।

(5) जहॉ आवश्यक हो, वहॉ शासन/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 03 अगस्त, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-''3451-092-08-राज्य पोषित कल्याणकारी योजनाओं में एन0जी0 ओ0 की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वेबसाइट/पोर्टल का निर्माण-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0ई0-5-741/दस-2017, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

संख्याः 28/2017(1) 989(1)/35-1-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in